

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

दुलाराम आदि बनाम करजी आदि

दावा बाबत :- EJECTMENT

संकेतमा नम्बर :- 368/2021

निर्णय दिनांक :- 09-12-2021

वादी की ओर से वकील शुक्रराम जोशी की व प्रतिवादी सं0 1.1.11 की ओर से वकील सरजित सिन्हा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 9-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही भोजा डूंगरसिंह पुरा के खाता 17/118 के

खसरा सं0 7, 11, 37, 62, 74, 129, कुला 18-791 है वारानो खालोदारी
लुबि मुनि में जडिया पत्नी स्व0 ठाकरराम के नाम से 1/4 हिस्सा
राजस खालो में यज है मैं से जडिया पत्नी स्व0 ठाकरराम का
नाम कलमजग किमा जाकर वादी सं0 दुलाराम, वादी सं0 2
मनाराम, वादी सं0 3 रामकिशन, वादी सं0 4 शीकराम, वादी सं0 5
नल्लुराम, वादी सं0 6 और शोकर को वहिस्सा कराने के खालोदार
काश्तकार को मिल किने जाते है मुक्ति प्रतिवादी सं0 1 का 1/4
में अपना सम्पूर्ण एक वहिस्सा वादी सं0 1 का 1/4 में
त्याग कर चुन्य कर लिया है उसलिये त्याग किने गये
हिस्से पर पंजीयन किमा करे गये पंजीयन मुल्य अया
करने व यदि लुबि मुनि वॉक के रखे है तो रक्षामुल
वैने के उपरन्त है राजस खालो में अमल परमुप
किमा जाव/रादीनामा को डिक्री का भाग पटा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.गा. के संग अ-2021-21
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हेनुमानगढ़